"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]　　रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मार्च 2016— फाल्गुन 25, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक 2842/डी. 90/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14-03-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) अधिनियम, 2016

वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए राज्य की संचित निधि में से 31,79,84,29,058 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए तीन हजार एक सौ उन्यासी करोड़ चौरासी लाख उन्तीस हजार अंठावन रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां (3) विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	6,39,51,00,000	6,39,51,00,000
03	पुलिस	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	200	0	200
05	जेल	राजस्व	1,40,30,000	0	1,40,30,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
10	वन	राजस्व	32,00,00,000	14,17,000	32,14,17,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	200	0	200

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,63,93,00,000	0	4,63,93,00,000
		पूंजी	24,80,00,100	0	24,80,00,100
17	सहकारिता	राजस्व	40,00,00,100	0	40,00,00,100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	65,00,000	65,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	100	0	100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	40,00,00,000	0	40,00,00,000
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	17,94,000	0	17,94,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,81,04,56,000	0	3,81,04,56,000
		पूंजी	51,40,00,000	0	51,40,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग.	राजस्व	17,36,000	0	17,36,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	100	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	13,50,00,00,000	0	13,50,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,21,01,44,000	0	1,21,01,44,000
		पूंजी	17,54,50,958	0	17,54,50,958
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	0	7,00,00,000	7,00,00,000
	योग -	राजस्व	**23,96,79,60,800**	**7,14,17,000**	**24,03,93,77,800**
		पूंजी	**1,35,74,51,258**	**6,40,16,00,000**	**7,75,90,51,258**
	वृहद योग -		**25,32,54,12,058**	**6,47,30,17,000**	**31,79,84,29,058**

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक 2842/डी. 90/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2016)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2016

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title. 1. This Act may be called the Chhattistgarh Appropriation Act, 2016.

Issue of Rs. 31,79,84,29,058 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial year 2015-2016. 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule, including the sums specified in column (3) of the Schedule of the Chhattisgarh Appropriation Act, 2016, amounting in the aggregate to the sums of Three Thousand One Hundred Seventy Nine Crore Eighty Four Lakhs Twenty Nine Thousand Fifty Eight rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purpose expressed in the Schedule in relation to the said financial year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote (1)	Services and purposes (2)		Sums not exceeding (3) Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation-Public Debt.	Capital	0	6,39,51,00,000	6,39,51,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
03	Police	Revenue	200	0	200
		Capital	200	0	200
05	Jail	Revenue	1,40,30,000	0	1,40,30,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	5,00,000	0	5,00,000
10	Forest	Revenue	32,00,00,000	14,17,000	32,14,17,000
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue	200	0	200
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	4,63,93,00,000	0	4,63,93,00,000
		Capital	24,80,00,100	0	24,80,00,100
17	Co-operation	Revenue	40,00,00,100	0	40,00,00,100
23	Water Resources Department.	Capital	0	65,00,000	65,00,000
25	Expenditure pertaining to Mineral Resources Department.	Revenue	100	0	100
27	School Education	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Capital	40,00,00,000	0	40,00,00,000
36	Transport	Revenue	100	0	100
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	17,94,000	0	17,94,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	3,81,04,56,000	0	3,81,04,56,000
		Capital	51,40,00,000	0	51,40,00,000
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue	17,36,000	0	17,36,000
56	Rural Industries	Revenue	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	13,50,00,00,000	0	13,50,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue	1,21,01,44,000	0	1,21,01,44,000
		Capital	17,54,50,958	0	17,54,50,958
67	Public Works-Buildings	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	0	7,00,00,000	7,00,00,000
	Total -	**Revenue**	**23,96,79,60,800**	**7,14,17,000**	**24,03,93,77,800**
		Capital	**1,35,74,51,258**	**6,40,16,00,000**	**7,75,90,51,258**
	Grand Total -		**25,32,54,12,058**	**6,47,30,17,000**	**31,79,84,29,058**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.